बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

## अधिसूचना

**संचिका संख्या**–अ०स०क०–02–96/2026..........564......./ पटना, दिनांक 25/08/26

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–7ए/70वीं सं० (मुख्य) प्र०प०–01–02/2025 (13) लो०से०आ०/गो०, दिनांक–20.07.2026 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थी को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर अद्योलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–09 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

| क्र० | मेधा क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | रौल नं० | जन्म तिथि | पिता का नाम, पता एवं मो० नं० | Alloted Reservation Roster Vacancy | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 745 | सुश्री नेहा कुमारी | 428788 | 03.09.2001 | पिता –श्री संतोष कुमार, पता–ग्राम+पोस्ट –खिरयावाँ, वार्ड नं०–14, थाना–मदनपुर, जिला–औरंगाबाद, बिहार ई–मेल–komalkumar824208@gmail.com मो०–9693366902 | 06 (पिछड़े वर्गों की महिला) | |

2. नवनियुक्त पदाधिकारी बिपार्ड, पटना में रिपोर्ट करेंगी।
3. नवनियुक्त अभ्यर्थी/पदाधिकारी का परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष की होगी।
4. अभ्यर्थी को तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/चरित्र प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
5. सुश्री नेहा कुमारी, मेधा क्रमांक–745, रौल नं०–428788, पता–ग्राम+पोस्ट –खिरयावाँ, वार्ड नं०–14, थाना–मदनपुर, जिला–औरंगाबाद, बिहार की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जा रही है कि इनके बायोमैट्रिक्स जाँच का सम्पुष्टि प्रतिवेदन बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुकूल प्राप्त हो। सम्पुष्टि प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। बायोमैट्रिक्स जाँच के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अंतिम निष्कर्ष से इनकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है।
6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2160, दिनांक–05.02.2025 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में प्राप्तांक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पार्षद् द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
7. यदि अभ्यर्थी द्वारा जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण–पत्र इत्यादि यदि समर्पित/प्रस्तुत नहीं किया है तो योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण–पत्र निश्चित् रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ–पत्र समर्पित नहीं किया गया है तो योगदान के समय अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ–पत्र समर्पित करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

13. योगदान की तिथि से ही वेतन आदि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

14. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नवनियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 03 (माह) के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि 03 (तीन) माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/

**(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी)**

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96/2026....................../ पटना, दिनांक .........................

**प्रतिलिपि**– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96/2026....................../ पटना, दिनांक .........................

**प्रतिलिपि**– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96/2026....................../ पटना, दिनांक .........................

**प्रतिलिपि**– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96/2026....................../ पटना, दिनांक .........................

**प्रतिलिपि**– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सुश्री नेहा कुमारी, मेधा क्रमांक–745, रौल नं०–428788 का बायोमैट्रिक्स जाँच का सम्पुष्टि प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**– सहायक निदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

ह० / –

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**–विशेष सचिव–सह–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**ः– सुश्री नेहा कुमारी, मेधा क्रमांक–745, रौल नं०–428788, पिता –श्री संतोष कुमार, पता–ग्राम+पोस्ट–खिरयावाँ, वार्ड नं०–14, थाना–मदनपुर, जिला–औरंगाबाद, बिहार, ई–मेल–komalkumar824208@gmail.com, मो०–9693366902 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026......................../ पटना, दिनांक ..........................

**प्रतिलिपि**– सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक / सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकरी, अल्पसंख्यक कल्याण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक अ०स०क०–02–96 / 2026....3488..../ पटना, दिनांक 25/08/26

**प्रतिलिपि**– विभागीय आई०टी०मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करे।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 25/8/26